कार्यालय चास नगर निगम, चास (बोकारो)

N.H-320 आई0टी0आई0मोड़,चास बोकारो पिन–827013
Website: chasmunicipalcorporation.com
E-mail:- chasmunicipalcouncil@gmail.com

पत्रांक 267
दिनांक 30/07/25

–: आम सूचना :–

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निकाय की अनुमति के बिना शहरी क्षेत्र में आर0 ओ0 वाटर उपचार संयंत्र संचालित हो रहे है, जिससे शहरी क्षेत्र में भूगर्भ जलस्तर में लगातार कमी हो रही है। उक्त के आलोक में सरकार के प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड रांची की अधिसूचना ज्ञापांक–08/ नियमावली (आर0ओ0)–1/2024 न0वि0आ0–3370,रांची दिनांक 06.09.2024 के द्वारा आर.ओ. वाटर उपचार संयंत्र संचालित करने हेतु रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर (आर0ओ0वाटर) उपचार संयंत्र संचालन एवं अनुज्ञप्ति नियमावाली 2024 अधिसूचित की गई है जिसके तहत् जल आपूर्ति अभिकरण को निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क एवं वार्षिक शुल्क की राशि डिमान्ड ड्राफ्ट (जो अपर नगर आयुक्त, चास नगर निगम, चास के पदनाम से चास में देय होगा) के माध्यम से जमा करना होगा।

अनुज्ञप्ति प्राप्त करने एवं आर0ओ0 वाटर उपचार संयंत्र संचालन हेतु नियम एवं शर्त्तें निम्न हैं :–

01. जल आपिर्ति अभिकरण को **प्रपत्र 'घ'** में अपना आवेदन समर्पित करना होगा। संबंधित प्रपत्र चास नगर निगम, चास कार्यालय अथवा वेबसाईट www.chasmunicipalcorporation.com से प्राप्त किया जा सकता है।
02. अनुज्ञप्ति शुल्क रू0 **5000/-**(पांच हजार) रू0 डिमान्ड ड्राफ्ट।
03. वर्षिक शुल्क रू0 **20000/-**(बीस हजार) रू0 डिमान्ड ड्राफ्ट।
04. अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु जल आपूर्ति अभिकरण को निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित करना अनिवार्य होगाः–
    - A. व्यक्तिगत मामले में आधार कार्ड।
    - B. कम्पनी या फर्म के मामले में निगम या पंजीकरण का कागजात।
    - C. अद्यतन बिजली विल
    - D. होल्डिंग कर रसीद
    - E. केन्द्रीय भूगर्भ जल प्रांधिकार के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण।
05. आर0 ओ0 वाटर के लिए मात्र बोरिंग/कुआँ का पानी का उपयोग किया जाएगा।
06. वर्षा जल संचयन का निर्माण कराना अनिवार्य होगा। जल आपूर्ति अभिकरण को फोटो के साथ वर्षा जल संचयन का विवरण समर्पित करना होगा। खुली भूमि के मामले में एक शपथपत्र समर्पित करना होगा कि संरचना का निर्माण होने के उपरांत वर्षा जल संचयन संरचना की व्यवस्था की जायगी।
07. चास नगर निगम, चास में पंजीकृत रिग मशीन /वाहनों से ही बोरिंग कराना अनिवार्य होगा।
08. डिजीटल फ्लोमीटर लगाना एवं प्रत्येक दिन लॉग बुक का संधारण करना अनिवार्य होगा।
09. जल आपूर्ति अभिकरण द्वारा पानी फिल्टर करने के उपरान्त अनुपयोगी पानी के लिए भूजल पूर्वभरण पिट (Ground Water Recharge Fit) बनाना अनिवार्य होगा।

10. आर0 ओ0 वाटर उपचार संयंत्र को प्रत्येक वर्ष अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा जिसके लिए कोई राशि आदेय नहीं है। परन्तु वार्षिक शुल्क का भुगतान प्रतिवर्ष करना होगा।
11. यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त कोई आर0ओ0 वाटर उपचार संयंत्र केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण की मार्ग निर्देशिका का उल्लंधन किया जाता है तो उक्त संयंत्र की अनुज्ञप्ति की अवधि शेष रहते हुए भी बंद कर दिया जायगा तथा भविष्य में संयंत्र जो बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये संयंत्र का संचालन करते हुए पाये जाते है तो उन पर रू0 50,000/- (पचास हजार) रू0 का दण्ड अधिरोपित किया जायगा। दण्ड जमा नहीं किये जाने की स्थिति में आर0 ओ0 वाटर उपचार संयंत्र को सील कर दिया जायगा।
12. जल आपूर्ति अभिकरण द्वारा प्रत्येक तीन महीने पर राज्य प्रयोगशाला या अन्य सरकारी संस्था से लैब टेस्ट कराते हुए चास नगर निगम कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
13. चास नगर निगम, चास की अनुमति के बिना बोरिंग अथवा कुआ खोदकर संयंत्र संचालन किये जाने की स्थिति में उक्त बोरिंग/कुआं को भर दिया जायगा।
14. आर0 ओ0 वाटर संयंत्र के चलते यदि चास नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत किसी क्षेत्र/वार्ड में भूमिगत जल स्तर कम हो रहा है तो निश्चित अवधि के लिए उस क्षेत्र में संचालित संयंत्र को बंद कर दिया जायगा।
15. बिना चास नगर निगम में पंजीकृत रिग मशीन से बोरिंग किये जाने पर रू0 25,000/- (पचीस हजार)रू0 दण्ड शुल्क की वसूली रिग मशीन/वाहन मालिक से की जायगी।
16. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, झारखण्ड जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावाली,2020, केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण की अधिसूचिना एव पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
17. इस संबंध में भविष्य में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार अथा केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियम/विनियम एवं दिये गये निर्देश का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

30/1/25

प्रशासक
—सह—
अपर नगर आयुक्त
चास नगर निगम।

ज्ञापांक 267 / दिनांक 30/01/25

प्रतिलिपि :— जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, बोकारो को दैनिक स्थानीय अखबारो में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

30/1/25

प्रशासक
—सह—
अपर नगर आयुक्त
चास नगर निगम।